

195

वन एवं वन्य प्राणी विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय:- प्र0मु0व0सं0 एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा

वन भवन सी-18, सैक्टर-6, पंचकुला-134109 फोन/फैक्स नं. 0172 2561224, 2583682 pccfwlhry@gmail.com

क्रमांक - 750

दिनांक:- 19/07/2021

सेवा में,

Sh. Ajit Singh S/o Sh. Chander Bhan,
& Sh. Dalbir Singh S/o Sh. Sukhbir Singh,
Vill. Chandu, District, Gurugram,
Haryana.

विषय: NOC for only wildlife angle of the Retail Outlet Pump in Village Budhera, District Gurugram by Sh. Ajit Singh S/o Sh. Chanderbhan. R/o Village Chandu, Gurugram and Sh. Dalbir Singh S/o Sh. Sukhbir Singh.

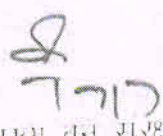
सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरुग्राम का पत्र क्रमांक 520 दिनांक 17.09.2020।

ऊपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के इको सेंसिटिव जोन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के प्रावधान व मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरुग्राम की रिपोर्ट के मद्देनजर Sh. Ajit Singh S/o Sh. Chander Bhan. & Sh. Dalbir Singh S/o Sh. Sukhbir Singh, Vill. Chandu, District, Gurugram Haryana को Khatoni No. 82/109, Mustil No. 149, Kila No. 4 (8-0), 7/1 (1-2) village budhera, district Gurugram में retail outlet petrol pump लगाने की निम्नलिखित शर्तों अनुसार अनापत्ति पत्र जारी किया जाता है:-

1. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की उल्लंघना नहीं होगी बाहिये। यदि उल्लंघना की गई तो उचित कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
2. दिनांक 18.06.2021 को हरियाणा सरकार द्वारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के Eco-Sensitive Zone के Zonal Master Plan के अनुसार अन्य विभागों से NoC/approval लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
3. भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
4. सम्बन्धित विभाग की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।
5. कूड़ा कंकड़ का निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।

6. अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
7. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
8. विभाग इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि ऊपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है।

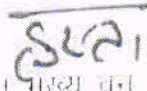
स्पष्ट किया जाता है कि यह अनापत्ति पत्र केवल वन्य जीवन से सम्बन्धित है। अन्य विभागों के सम्बन्धित दस्तावेजों हेतु प्रार्थी सम्बन्धित विभाग से अनुमति लेगा।


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
 Principal Chief Conservator of Forests &
 Chief Wildlife Warden
 Haryana, Panchkula

प्र० कमांक

दिनांक

इसकी एक प्रति मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरुग्राम को उनके पत्र कमांक 520 दिनांक 17.09.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
 हरियाणा, पंचकुला।